राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–लेखा/ऑडिट कमेटी/2018/2270 दिनांक : 9/10/18

राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 26–09–2018 को सायः 4:30 बजे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी कार्यालय महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, वित्तीय सलाहकार (जन स्वास्थ्य), जयपुर, निदेशक (वित्त), एनएचएम, कार्यकारी निदेशक (वित्त) आरएमएससीएल, जयपुर, निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, जयपुर, मुख्य लेखाधिकारी (आईईसी), मुख्य लेखाधिकारी, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, वित्त (अंकेक्षण) विभाग एवं निरीक्षण विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए।

बैठक में विभागाध्यक्षवार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों की समीक्षा की गयी, जिसका सारांश निम्नानुसार है:–

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की स्थिति :–

क्र. सं.	विभाग का नाम	दिनांक 28.02.18 को शेष		आक्षेप जुड़े		कुल योग		निरस्त आक्षेप		दिनांक 31.08.18 को शेष	
		नि.प्र.	अनु.	नि.प्र.	अनु.	नि.प्र.	अनु.	नि.प्र.	अनु.	नि.प्र.	अनु.
1.	निदेशक (जन स्वा0)	752	1896	17	90	769	1986	22	152	747	1834
2.	निदेशक (परिवार कल्याण)	106	254	4	20	110	274	7	35	103	239
3.	मिशन निदेशक, एनएचएम	595	3341	20	153	615	3494	0	29	615	3465
4.	निदेशक (आई.ई.सी.)	08	30	–	–	08	30	–	–	08	30
5.	निदेशक (एड्स) कन्ट्रोल सोसायटी	05	50	01	18	06	68	0	22	06	46
6.	निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट	09	40	0	0	09	40	01	02	08	38
7.	प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर	03	18	0	0	03	18	0	02	03	16

बकाया प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना की स्थिति:–

विभाग का नाम	दिनांक 28.02.18 को शेष	आक्षेप जुड़े	कुल योग	अनुपालना प्रेषित	दिनांक 31.08.18 को शेष
	नि.प्र. की प्रथम अनुपालना	नि.प्र.	नि.प्र.	नि.प्र.	नि.प्र.
निदेशक (जन स्वा0)	23	06	29	14	15
निदेशक (परिवार कल्याण)	01	0	01	01	0
मिशन निदेशक, एनएचएम	65	20	85	85	0

1. **वित्तीय सलाहकार, चि0 एवं स्वा0 निदेशालय** द्वारा महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों के निस्तारण हेतु संभागीय स्तर पर जोन कार्यालय–बीकानेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर व उदयपुर में आयोजित आक्षेप निस्तारण केम्पों की प्रगति से अवगत कराते हुए 22 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 152 आक्षेप निरस्त किया जाना अवगत कराया गया। माह अक्टूबर व नवम्बर, 2018 में जोन कार्यालय जोधपुर व अजमेर में कैम्प आयोजन के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया। वरिष्ठ लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय ने अवगत कराया कि एन.एच.एम. के आक्षेपों का निस्तारण राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति से A.T.N. रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जावेगा। व0 लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय द्वारा आक्षेप निस्तारण केम्पों में संयुक्त निदेशक कार्यालय बीकानेर एवं निदेशक (परिवार कल्याण) से सम्बन्धित अनुपालना प्रस्तुतीकरण का कार्य प्रशंसनीय होना तथा संयुक्त निदेशक कार्यालय कोटा व भरतपुर व इनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अनुपालना प्रस्तुत करने में उदासीनता बरतने इसके परिणामस्वरूप कम आक्षेप निरस्त होने की स्थिति से अवगत कराया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक–भरतपुर व कोटा का स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं अक्टूबर व नवम्बर में आयोजित होने वाले केम्पों में आक्षेप निस्तारण के विशेष प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।

   कार्यकारी निदेशक (वित्त), आरएमएससीएल ने अवगत कराया कि एक्सपायरी दवाओं एवं सेनेटरी नेपकीन सम्बन्धी आक्षेपों की महालेखाकार कार्यालय को पूर्ण अनुपालना प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी आक्षेप निरस्त नहीं किये गये है। अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण अनुपालनाओं के साथ महालेखाकार कार्यालय में विमर्श कर आक्षेप निरस्तारित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

   अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा सभी विभागों के महालेखाकार कार्यालय के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण हेतु भी निर्देश दिये गये।
2. **बकाया प्रथम अनुपालनाएं**:–महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालनाएं काफी संख्या में बकाया चल रही है। इस सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार अनुपालनाएं शीघ्र प्राप्त कर महालेखाकार को प्रेषित कराने के निर्देश दिये गये।
3. **तथ्यात्मक विवरण**:–निदेशक, परिवार कल्याण से सम्बन्धित बकाया 01 तथ्यात्मक विवरण का उत्तर पत्र दिनांक 10.08.2018 द्वारा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को भिजवा दिया गया है।
4. **ड्राफ्ट पैरा**:– कोई ड्राफ्ट पैरा बकाया नहीं है।

5. **भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनः**–वित्तीय वर्ष 2016–17 के राज्य वित्त लेखों व विनियोग लेखे में समाविष्ट मांगों में हुए आधिक्त/बचत के उत्तर नियत समयावधि से पूर्व राजस्थान विधानसभा को भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये। निदेशक (प.क.) से सम्बन्धित राज्य वित्त प्रतिवेदन के आ.सं. 3.1 एवं 3.5 का उत्तर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पत्र दिनांक 19.06.18 द्वारा जनलेखा समिति को प्रेषित कर दिया गया है। सीएजी प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016–17 की अनुपालना हेतु वित्तीय सलाहकार (जन स्वास्थ्य) के स्तर पर शीघ्र तैयारी बैठक आयोजित कर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया के स्तर पर आगामी सप्ताह में बैठक आयोजित करने हेतु निर्देश दिये गये।
6. **जनलेखा समिति के प्रतिवेदनः**–जनलेखा समिति के सभी बकाया प्रतिवेदनों की सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित कर क्रियान्विति अनुपालना जनलेखा समिति को भिजवाने के निर्देश दिये गये। एन.एच.एम. की सिफारिशों के सम्बन्ध में सम्बन्धितों के विरूद्ध निदेशक (जन स्वास्थ्य) के स्तर पर कार्यवाही की जाकर अनुपालना की जानी है, जो अब तक नहीं की गयी है, इसे गंभीरता से लिया गया एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा सम्बन्धित पत्रावली स्वपूरित टिप्पणी सहित उनके समक्ष प्रस्तुत कराने हेतु निर्देश दिये गये।
7. ओ. बी. आईटम्स की पालना कराकर शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
8. चोरी/गबन प्रकरणों में शीघ्र वसूली एवं निस्तारण के निर्देश दिये गये।
9. निरीक्षण विभाग के जाँच प्रतिवेदनों/विशेष जाँच प्रतिवेदनों/भौतिक सत्यापन प्रतिवदेनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना शीघ्र तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण विभाग द्वारा आईपीपी–9 स्कीम के आक्षेपों की अनुपालना प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति से अवगत कराया गया। यह स्कीम परिवार कल्याण विभाग में समाहित हुई है। अतः निदेशक (परिवार कल्याण) के स्तर से अनुपालनाएं शीघ्र प्रेषित कराने हेतु मुख्य सचिव महोदया द्वारा निर्देश दिये गये।
10. आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालनायें तैयार करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाकर बकाया आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

बैठक अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर

क्रमांक :–लेखा/ऑडिट कमेटी/2018/2270 दिनांक : 09/10/18

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (जी.एस.एस.ए.-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, लि0 जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
8. उप शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर।
9. निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
10. निदेशक (प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
11. निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक (एड्स कन्ट्रोल सोसायटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
13. निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, ए. ब्लॉक, चतुर्थ तल, आर.सी.दवे. मार्ग, राज., जयपुर।
15. अति0 निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
16. अति0 निदेशक (राजपत्रित/चिकित्सा प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
17. वित्तीय सलाहकार (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
18. निदेशक (वित्त), एनआरएचएम, राजस्थान, जयपुर।
19. मुख्य लेखाधिकारी (ऑडिट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राजस्थान जयपुर।
20. मुख्य लेखाधिकारी एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राज0 जयपुर।
21. मुख्य लेखाधिकारी परिवार कल्याण, राज0 जयपुर।
22. समस्त, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कार्यालय को पालनार्थ।
23. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को पालनार्थ।
24. समस्त, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पालनार्थ।
25. रक्षित पत्रावली।

27. प्रभारी सर्वर कक्ष को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित को Mail किया जावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर